न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562,

सरकार, अधीक्षक मद्य निषेध, सहरसा
बनाम
संजय कुमार

आदेश पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा,
केस का प्रकार–

केस संख्या– 372/2020–21,
बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियिम 2016, के तहत जप्त शराब के अधिहरण (confiscation)/विनष्टीकरण एवं जप्त दुकान के अधिहरण करने के संबंध में।

ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित1
1	2	3
	–:आदेश:– प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ अधीक्षक मद्य निषेध, सहरसा के पत्रांक 1614/उत्पाद, दिनांक 23.12.2019 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव उत्पाद विभाग द्वारा दर्ज विशेष वाद संख्या– 357/2019 में जप्त मशालेदार शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त दुकान के अधिहरण से संबंधित है। प्रस्ताव में अंकित घटना का स्थान– सौरबाजार, कढ़ैया चौक एवं घटना की तिथि 05.08.19 के साथ वर्णित है कि– "गुप्त सूचना के आधार पर दिनांक–05.08.19 को 08:20 पी0एम0 में कढ़ैया थाना–सौरबजार, जिला–सहरसा में की गई विधिवत छापेमारी में अभियुक्त के खाद एवं जेनरल स्टोर की दुकान की तलाशी लेने पर काउन्टर से एक झोला में देशी मशालेदार के 200 एम0एल0 का 19 पीस वि०म०नि० व उत्पाद अधि० 2018 की घारा 30(a) के अन्तर्गत जप्त की गई। जाँच प्रदर्श को सक्षम अधिकारी के पास भेजा गया।" प्राप्त प्रस्ताव में उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए जप्त शराब के विनिष्टीकरण एवं जप्त दुकान के अधिहरण करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त शराब को अधिहरित करते हुए विनष्टीकरण का आदेश दिया गया। साथ ही जप्त दुकान के अधिहरण के बिन्दु पर प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया। प्रतिवादी संजय कुमार पिता– स्व० सुरेश यादव, साकिन– कढ़ैया, थाना– सौरबाजार, जिला– सहरसा उपस्थित हुए। उनके ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।	

प्रतिवादी का कहना है कि उनके स्वत्व और दखल कब्जा के क्षेत्र से किसी भी प्रकार का अवैध उत्पाद वस्तु बरामद नहीं हुआ है। प्रतिवादी मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग द्वारा दर्ज वाद में जमानत पर है और मामला विचाराधीन है। इनके नाम से न तो कोई दुकान की जमीन है और न ही प्रतिवादी किसी दुकान का मालिक है। उत्पाद विभाग के द्वारा छापमारी के क्रम में स्थान/दुकान को सील नहीं किया गया है।

प्रतिवादी का आगे कहना है कि अधिहरण प्रस्ताव में दुकान का खाता, खेसरा, रकवा, चौहद्दी, अंचल, मौजा कुछ भी अंकित नहीं है। दुकान की स्पष्ट रूप से पहचान के लिए दुकान की संरचना का भी विवरण न तो वाद में और न ही न्यायालय से प्राप्त नोटिस में अंकित है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग का रवैया पूर्णतया मनमानीपूर्ण है और अधिहरण हेतु दिया गया प्रस्ताव किसी भी सूरत में न्याय के दृष्टिकोण से चलने योग्य नहीं है।

अंततः इनका कहना है कि स्थानीय गंदी राजनीति और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण इन्हें झूठा फंसाया गया है और एक अस्पष्ट, अनिश्चित और अनियत अधिहरण प्रस्ताव का प्रतिवेदन न्यायालय को भेजा गया है। बरामद अवैध उत्पाद वस्तु से इनका कोई लेना देना नहीं है न ही ये अवैध उत्पाद वस्तु के किसी कारोबार से संलग्न है। उत्पाद विभाग की कार्रवाई दुर्भावना एवं स्थानीय राजनीति से प्रेरित है। ये पूरी तरह से निर्दोष हैं और इन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि जप्त दुकान का प्रयोग शराब के अवैध भंडारण में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, अधीक्षक उत्पाद सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त दुकान को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रतिवादी के साथ राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना।

चूँकि अधिहरण प्रस्ताव में प्रस्तावित सम्पत्ति का कोई स्पष्ट विवरण नहीं है। प्राप्त प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। अतः, उक्त अधिहरण प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

Kd 4/12/2020
समाहर्त्ता
सहरसा।

Kd 4/12/2020
समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक 917 /न्याया०,   सहरसा, दिनांक 08.12.20.

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

8.12.20

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

05/12/20